भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 501

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

501. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुनिश्चित सिंचाई योजना के तहत खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच उपलब्ध कराने और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसानों के लाभ के लिए कृषि योग्य भूमि क्षेत्र का विस्तार करने और खेतों तक जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा चिह्नित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी चालू स्कीमों के अंतर्गत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में इस समय भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं।

1. भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये का ऋण और राज्य हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों द्वारा 35,180 करोड़ रुपये के परिव्यय) के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

2. महाराष्ट्र की 8 लघु सूक्ष्म सिंचाई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अप्रैल, 2018 तक अनुमानित शेष लागत 13,651.61 करोड़ रुपये है, जिसे

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। उक्त पैकेज के लिए 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन के साथ 3,831.41 करोड़ रुपये का केंद्रीय सहायता घटक है ।

3. जून, 2018 में, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभान्वित करने वाली शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना को 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 485.38 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता देय है।

4. सितंबर, 2018 में, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2018 को 1,976.75 करोड़ रुपये की संयुक्त अनुमोदित लागत के साथ "सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग और राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग" को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए 982 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता देयता है।

5. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार द्वारा क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में रेणुकाजी बांध और लखवाड़ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।

6. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग): श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत जारी केंद्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है।

पीएमकेएसवाई के घटक	**वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)**	**लाभार्थियों की अनुमानित संख्या**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	1,577.82	43,22,751
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	26.69	15,252
पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी*	783.53	3,04,551
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	257.61	आंकड़े नहीं रखे जाते।

**** दिसंबर, 2021 से पीडीएमसी का कार्यान्वयन पीएमकेएसवाई के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।***

*****